10/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपील
क्र उप./ वाद पार्टीशन निरस्त किया जाता
है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाकर
जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो
नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2011/00037

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 131/11 GCMS:- 2011/00037 दायरा दिनांक 05.09.2011

1. रामकुमार पुत्र श्री लेखराम जाति सुनार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान (मृतक) :–

1/1 नानी देवी पत्नी रामकुमार 1/2 शीलादेवी पुत्री रामकुमार 1/3 बालचन्द पुत्र रामकुमार 1/4 विद्यादेवी पुत्री रामकुमार 1/5 अंजली पुत्री रामकुमार 1/6 आशाराम पुत्र रामकुमार	जाति सुनार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

– वादीगण –

बनाम

1. पेमादेवी पत्नी श्री रामदास जाति स्वामी निवासी चक 11 ई.ई.ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0 (मृतक) :–
   1/1 ताराचन्द पुत्र पेमादेवी पत्नी श्री रामदास जाति स्वामी निवासी चक 11 ई.ई.ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
   1/2 लालचन्द पुत्र पेमादेवी पत्नी श्री रामदास जाति स्वामी निवासी चक 11 ई.ई.ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
   1/3 पार्वती पुत्री रामदास जाति स्वामी साकिन बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. दुलाराम पुत्र हिकमदास जाति स्वामी निवासी चक 11 ई.ई.ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. नंदराम पुत्र मनीराम जाती स्वामी रिटायर्ड पटवारी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
5. उप पंजीयक, पंजीयन एंव मुद्राक सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थित :– 1. श्री भागीरथ बिश्नोई (अभिभाषक वादी)
2. श्री सुभाष बिश्नोई (अभिभाषक प्रतिवादीगण 1/1 ता 1/3)
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 10.12.2024

पत्रावली निर्णय के लिये प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया सक्षेप में तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि वादी द्वारा एक वाद घोषणा एंव खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] कथन के साथ पेश किया कि वादी को बतौर भूमिहीन चक 3 एल.जी.एम. [illegible] 220/3 के किला नं0 1 ता 25 के 25 बीघा अर्थात 6.3250 है0 भूमि का [illegible] 10.02.1977 को हुआ था। आवंटन पश्चात इस भूमि को वादी काश्त करता था किन्तु राजकीय कार्यवाही हेतु दफतरों के चक्कर काटने से बचने के लिये अ[illegible] जान पहचान के पटवारी नन्दराम (प्रतिवादी नं0 3) के कहने पर प्रतिवादी नं0 2 को मात्र सरकारी कार्यालयो में खाला पक्का करवाने आदि के कार्य हेतु लिखा पढी करने हेतु वादी की और से कार्य करने हेतु मुख्तयार आम नियुक्त दिनांक 02.01.1986 को कर पंजीबद्ध करवाया था।

लगातार 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वादी की अल्प बुद्धी का फायदा उठा कर नन्दराम व प्रतिवादी नं0 2 ने आपस में साज–बाज कर मुख्तयारनामा में जैरवाद भूमि को हस्तान्तरण करने के अधिकार भी प्रतिवादी सं0 2 को दिये गये मुख्तयारनामा में अंकित करवाकर मुख्तयारनामा उपपंजीयक से तस्दीक करवा लिया और इसी मुख्तयारनामा का फायदा उठाते हुए मुझ वादी के जानकारी के बिना चक 2 एल.जी.एम तहसील सूरतगढ़ के प.नं. 220/3 के 6.325 है0 भूमि का स्थानतरण पत्र दुलाराम ने अपने रिस्तेदार पेमादेवी के नाम दिनांक 12.08.1993 को करवा दिया प्रथमतः मुख्तयारनामा आम धोखाधडी से निष्पादित करवाये गये है जो कि मुख्तयारनामा देहिन्दा के अधिकारो से बाहर किये गये है। द्वितीय इस मुख्तयारनामा के आधार पर अधिकार हीन हस्तान्तरण किये गये है। क्योकि मुख्तयारनामा देने के धारण में भूमि संयुक्त परिवार के अधिकार भी होने से वादीगण के हितो के विरूद्ध हस्तान्तरण हुआ है। हस्तान्तरण वादी के हितो पर बेअसर मानकर वादी को प्रश्नगत भूमि का खातेदार घोषित करने व प्रतिवादीगण को जरीये निषेधाज्ञा पाबन्द करने की मांग की गई की वे वादी की घोषित भूमि में हस्तक्षेप ना करें।

वाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की और से अभिभषक उपस्थित आये प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी नं0 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ। वाद चलन के दोरान वादी एंव प्रतिवादी नं0 1 की मृत्यू होने पर उनके वारिसो को पक्षकार बनाया गया संशोधित वाद शीर्षक प्राप्त कर तनकीयात बाद जवाब आने कायम निम्न प्रकार से की गई :–

1. आया प्रतिवादी नं0 2 ने प्रतिवादी नं0 3 के साथ मिलकर खातेदारी भूमि चक 2 एल.जी.एम के प.नं. 220/3 की 25 बीघा का बैचान जरिये मुख्तयारनामा दिनांक 03.01.1986 कुटरचित व धोखे से किया होने से वादी के हको पर निष्प्रभावी है ?
–वादी
2. आया तनकी नं0 1 में रकबा जरिये कुट रचित मुख्तयारनामा के आधार पर किया गया बैयनामा वादी के हको पर निष्प्रभावी होने से वादी 25 बीघा भूमि का खातेदार कृषक है ? –वादी
3. आया तनकी नं0 1 में अंकित रकबा चालू जमाबन्दी में खाता सं0 15/14 से हटाया जाकर वादी के नाम खातेदार दर्ज किया जावें। –वादी
4. आया वादी द्वारा दिनांक 03.01.1986 को रजिस्टर्ड मुख्तयारनामा कभी निरस्त नहीं करवाया गया ? –प्रतिवादी नं0 1 व 3
5. आया दिनांक 12.08.1989 को मुख्तयार ग्रहिता द्वारा वादी की सहमती से पूर्ण प्रतिफल देकर निष्पादित करवाया था। इसलिये वाद पत्र आधारहीन होने के कारण से निरस्ती योग्य है। – प्रतिवादी नं0 1 व 2

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य प्राप्त किये गये वादी की और से वादी सं0 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिनमें मात्र वादी 1/3 का ही प्रतिपरिक्षण करवाया [illegible] के शपथ पत्र प्रस्तुत हुए। प्रतिवादी नं0 1/4 द्वारा समस्त भूमि उसके नाम अंकित होने का साक्ष्य प्रस्तुत किए। अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए।

बाद आने साक्ष्य पक्षकारान के तर्क [illegible] गये वादी की और से लिखित तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद में निर्णय योग्य दो ही बिन्दू है प्रथम बिन्दू कि क्या अलोटी द्वारा करवाया गया मुख्तयारनामा कुटरचित था व उस मुख्तयारनामा के आधार पर किया गया बैयनामा अलोटी के वारिसो पर बेअसर है द्वितीय क्या आवंटन आविटती अकेले का ना होकर समस्त परिवार का होता है। आविटती लगातार 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अकेला आविटत भूमि को हस्तान्तरित नहीं कर सकता रामकुमार मात्र 1/7 हिस्सा का ही हस्तान्तरण कर सकता था। हस्तान्तरण अधिकार विहीन होने से निरस्तनीय मानकर वादीगण प्रत्येक को उक्त रामकुमार को आवंटित भूमि के 1/7 – 1/7 प्रत्येक को खातेदार घोषित करने की प्रार्थना की व हस्तान्तरण अवैध मानकर पूर्ण अंकन बहक प्रतिवादी निरस्त कर घोषणा अनुसार चक 3 एल.जी.एम की पं0नं0 220/3 की 6.325 है0 भूमि प्रतिवदी नं0 1 के नाम से कलमजन कर वादीगण के नाम अंकित करने की प्रार्थना की 1 तर्को के समर्थन में सयुक्त परिवार की परिभाषा आवंटन नियम 1975 भाखड़ा नहर क्षेत्र में आवंटन शर्तो में सयुक्त परिवार की परिभाषा, आर.आर.टी. 2014 पेज 209 पेरा 29, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1104, आर.आर.डी. 2002 पेज 92, 654, 449 प्रस्तुत किये व वाद स्वीकार करने की प्रार्थना की योग्य अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा तर्को को मोखिक उतर देते हुए निवेदन किया कि वादी रामकुमार द्वारा स्वेच्छा से अपनी भूमि का मुख्तयारआम प्रतिवादी नं0 2 को बनाया जो की एक पंजीकृत दस्तावेज है। सत्यता की सोच साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उसके साथ जूडी हुई है। प्रतिवादी नं0 1 के हक में प्रतिफल देकर हस्तान्तरण पत्र तस्दीक करवाया गया है। हस्तान्तरण पत्र निरस्त करवाये बिना चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता इसलिये वाद वादी खर्चा सहित निरस्त करने की प्रार्थना की।

बाद सुनवाई तर्क पूर्ण पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष में पठन व मनन किया प्रस्तुत न्याय निर्णयो का आदर पूर्वक पठन व मनन करने के उपरान्त तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :–

तनकी नं0 1:– आया प्रतिवादी नं0 2 ने प्रतिवादी नं0 3 के साथ मिलकर खातेदारी भूमि चक 2 एल.जी.एम के प.नं. 220/3 की 25 बीघा का बैचान जरिये मुख्तयारनामा दिनांक 03.01.1986 कुटरचित व धोखे से किया होने से वादी के हको पर निष्प्रभावी है ?

–वादी

इस तनकी का भार वादी पर था वादी द्वारा स्वंय के शपथ पत्र के अतिरिकत अन्य कोई स्वतन्त्र गवाह प्रस्तुत नहीं किये है। उनके द्वारा शपथ पत्रो में भी यह कही नहीं कहा गया कि कथित मुख्तयारनामा आम अधिकारातीत मुरातिब व निष्पादित करवाया गया है। मूल आविटती (मूल वादी) के वारिसो के मुख्तयारनामा आम को किस आधार पर कुटरचित बता रहे है स्पष्ट नहीं है। उनके द्वारा अपने शपथ पत्रो यद्यपी वह भी मात्र बालचन्द के प्रतिपरिक्षण एंव अन्यों द्वारा प्रतिपरिक्षण के अभाव में पठन योग्य नहीं किन्तु पढा भी जावें तो किस आधार पर एक पंजीकृत विलेख कुटरचित है स्पष्ट नहीं किया गया। पंजीकृत दस्तावेज को दस्तावेजी आधार के बिना कूट रचित नहीं माना जा सकता द्वितीय राजस्व न्यायालय पंजीकृत दस्तावेज को कुटरचित घोषित करने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में नहीं रखते इसलिये तनकी नं0 1 दस्तावेजी साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य से सही प्रश्नगत किया जाने का साक्ष्य अधिनियम का सिद्वान्त प्रभावशील होने मे मात्र मोखिक साक्ष्य के आधार पर दस्तावेज को कूटरचित नहीं माना जा सकता। त[illegible] सिद्ध नहीं होती इसलिय इसे खिलाफ विरूद्ध वादी निर्णय की जाती [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं0 2:– आया तनकी नं0 1 मे [illegible] मुख्तयारनामा के आधार पर किया गया बैयनामा वादी के हको पर निष्प्रभावी होने से वादी 25 बीघा भूमि का खातेदार कृषक है ?

–वादी

इस तनकी का भार वादी पर था एंव इसका सम्बंध तनकी नं0 1 के आधार पर ही है। तनकी नं0 1 सन्देह से परे कुटरचित साबित नहीं हो रही। तनकी नं0 1 के तथ्य में भी यह तथ्य स्वंय वादी स्वीकार करता है की

लगातार 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

मुख्तयारनामा आम उस द्वारा तहरीर करवाया जाकर तस्दीक करवाया गया है। इसके लिखित कथनो मे से हस्तान्तरण के अधिकारो के दिये जाने से इन्कारी की गई है। इसे सन्देह से परे सिद्ध करने का भार वादी पर था दस्तावेजी साक्ष्य से इसे सिद्ध नहीं किया गया। तनकी नं0 1 के अनुसरण में तनकी नं0 2 सन्देह से परे सिद्ध ना होने से विरूद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं0 3 :— आया तनकी नं0 1 में अंकित रकबा चालू जमाबन्दी में खाता सं0 15/14 से हटाया जाकर वादी के नाम खातेदार दर्ज किया जावें। —वादी

इस तनकी का भार वादी पर था। व इसका सम्बन्ध भी तनकी नं0 1 से है यहा तक प्रस्तुत न्याय निर्णयो का सम्बंध है इनमें यह माना गया है कि आवटिती अकेले के नाम किया गया आवंटन में भी परिवार के सभी सदस्यों का हित निहीत है किन्तु प्रथमतः आवंटिती द्वारा वाद में परिवार के सभी सदस्यों का हित आवंटन में नहीं बताया द्वितीय प्रश्नगत भूमि के प्रबन्धन एंव परिवार की आवश्यकता के लिये हस्तान्तरण के अधिकार आवटिती नहीं दे सकता। इसका कानूनी प्रावधान प्रस्तुत नहीं हुआ। स्वंय आवटिती यह कथन कह रहा है कि भूमि अधिक उपज भी नहीं है परिवार बड़ा है इसके लालन—पालन में वितीय आवश्यकता की पूर्ति हेतू भूमि हस्तान्तरण के अधिकार आविटती को प्राप्त बाद खातेदारी है इसमें पूर्व काश्त की सुविधा हेतू वह मुख्तयार प्रतिनिधी नियुक्त करेन में सक्षम है। हस्तान्तरण बाद खातेदारी हुआ है। यह परिवारिक आवश्यकता की पूर्ती में भी हो सकता है। तनकी नं0 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णय की गई है। इस तनकी का विवेचन के अनुसरण में विरूद्ध वादी निर्णय किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

तनकी नं0 4:— आया वादी द्वारा दिनांक 03.01.1986 को रजिस्टर्ड मुख्तयारनामा कभी निरस्त नहीं करवाया गया ? —प्रतिवादी नं0 1 व 3

इस तनकी का भार प्रतिवादी नं0 1 व 2 पर था इस तनकी को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए किन्तु दस्तावेज विक्रय पत्र एंव स्वंयवादी के वाद कथन की स्वीकृती से यह सन्देह से परे निर्णय योग्य है कि पंजीकृत विक्रय पत्र करवाने समय तक कथित मुख्तयारनामा वादी मुख्तयारनामा देहिन्दा द्वारा निरस्त नहीं करवाया गया। हस्तान्तरण पत्र तस्दीक 12.08.1993 को हुआ है जबकी वादी का वाद 12.08.2011 को हुआ है उस दिन तक मुख्तयारनामा देहिन्दा जिन्दा था कथन अनुसार मुख्तयार के अधिकार निरस्त नहीं कये थे। यह सन्देह से परे साबित है अतः तनकी नं0 4 बहक प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं0 4:— आया दिनांक 12.08.1989 को मुख्तयार ग्रहिता द्वारा वादी की सहमती से पूर्ण प्रतिफल देकर निष्पादित करवाया था। इसलिये वाद पत्र आधारहीन होने के कारण से निरस्ती योग्य है। — प्रतिवादी नं0 1 व 2

इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए किन्तु प्रस्तुत साक्ष्य हस्तान्तरण पत्र से प्रतिफल दिया जाना साबित है। किन्तु स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में तनकी नं0 5 बहक वादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं0 1 ता 3 विरूद्ध वादी तनकी नं0 4 बहक प्रतिवादी तनकी नं0 5 सन्देह से [illegible] होने पर भी प्रस्तुत तनकी नं0 1 ता 4 के आधार पर वाद पत्र वादी [illegible] वादीगण का चक 2 एल.जी. एम के प.नं. 220/3 की 25 [illegible] किये जाने व प्रतिवादीगण को पाबन्द करने की व उनके कब्जा काश्त में दखलन्दाजी ना करके वाद को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया [illegible]डिक्री जारी हो बाद तरतीब तकमील पत्रावली दाखिल दफतर की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 10.12.2024 को सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(आदेश 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

<u>डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई</u>

अज अदालत– सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास– सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 131 दायरा दिनांक 05.09.2011

1. रामकुमार पुत्र श्री लेखराम जाति सुनार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान (मृतक) :–
   1/1 नानी देवी पत्नी रामकुमार
   1/2 शीलादेवी पुत्री रामकुमार
   1/3 बालचन्द पुत्र रामकुमार
   1/4 विद्यादेवी पुत्री रामकुमार
   1/5 अंजली पुत्री रामकुमार
   1/6 आशाराम पुत्र रामकुमार

   } जाति सुनार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

– वादीगण –

बनाम

1. पेमादेवी पत्नी श्री रामदास जाति स्वामी निवासी चक 11 ई.ई.ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0 (मृतक) :–
   1/1 ताराचन्द पुत्र पेमादेवी पत्नी श्री रामदास जाति स्वामी निवासी चक 11 ई.ई.ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
   1/2 लालचन्द पुत्र पेमादेवी पत्नी श्री रामदास जाति स्वामी निवासी चक 11 ई.ई.ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
   1/3 पार्वती पुत्री रामदास जाति स्वामी साकिन बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज0
2. दुलाराम पुत्र हिकमदास जाति स्वामी निवासी चक 11 ई.ई.ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. नंदराम पुत्र मनीराम जाती स्वामी रिटायर्ड पटवारी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।
5. उप पंजीयक, पंजीयन एंव मुद्राक सूरतगढ़।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थित :– 1. श्री भागीरथ बिश्नोई (अभिभाषक वादी)
2. श्री सुभाष बिश्नोई (अभिभाषक प्रतिवादीगण 1/1 ता 1/3)
3. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

<u>वाद अर्न्तगत धारा 88, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक</u> .12.2024

वाद अर्न्तगत धारा 88, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर यह मुकदमा आज वास्ते इनफिस्लाय कतई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वाद पत्र वादी बाबत घोषणा वादीगण का चक 2 एल.जी.एम के प.नं. 220/3 की 25 बीघा के खातेदार घोषणा किये जाने व प्रतिवादीगण को पाबन्द करने की व उनके कब्जा काश्त में दखलन्दाजी ना करके वाद [illegible] किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे।

नोज ....x.......[illegible]..........x..........[illegible] इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....x.........फसदी की पालना........x........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10.12.2024 को जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.12 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested